UPUN010017582026

न्यायालय Addl. Sessions Judge, Court No. 13 Unnao

पीठासीन अधिकारी– (Ravi Prakash Sahu), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) UP**01765

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 761/2026

वीरेन्द्र कुमार दुबे पुत्र स्व0 रामशंकर निवासी बिरसिंहपुर थाना मांखी जनपद उन्नाव । .....प्रार्थी

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा डी0जी0सी0 क्रिमिनल।

. .....विपक्षी

एस0टी0नं0 1683/2023
अ0सं0 265/2021
धारा– 323,504,506,307 आई0पी0सी0
थाना–माखी,, जिला उन्नाव।

दिनांक 03.04.2026 –

1– आवेदक/अभियुक्त अवीरेन्द्र कुमार दुबे पुत्र स्व0 रामशंकर की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र सं0 761/2026 एस0टी0नं0 1683/2023,अ0सं0 265/2021 धारा– 323,504,506,307 आई0पी0 सी0 थाना–माखी,, जिला उन्नाव के मामले में जमानत हेतु संस्थित किया गया है।

2– आवेदक/अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार दुबे वारण्ट पर गिरफ्तार होकर` जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध है ।

3– आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है । महज गॉव की पार्टीबन्दी व प्रधानी के चुनाव की रंजिश की वजह से मुकदमें में झूठा फॅसाया गया है । प्रार्थी उक्त वाद में जमानत पर था । प्रार्थी के विरूद्ध बिना जमानती वारण्ट का आदेश हो गया था । प्रार्थी गरीब व्यक्ति है ओर प्रार्थी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है । प्रार्थी रोजगार के सिलसिले में बाहर गया था जहॉ पर प्रार्थी की तबियत खराब हो गयी ज्यादा दिन तक बीमार रहने के कारण से प्रार्थी तारीख पेशी पर हाजिर नहीं हो सका थ प्रार्थी ने यह गैर हाजिरी जानबूझकर नहीं है बल्कि बीमारी के कारण हुआ है प्रार्थी बराबर तारीख पेशी पर हाजिर होता रहेगा । प्रार्थी जमानत पर छूटने के बाद ना तो भोगगा और ना ही गवाहो पर असर डालेगा । प्रार्थी गरीब व्यक्ति है । प्रार्थी का कोई पैरोकार नहीं है इसलिए प्रार्थी को जिला विधिक प्राधिकरण उन्नाव से सरकारी अधिवक्ता प्रदान किया गया है । प्रार्थी का न तो कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ लखनऊमें न तो दियागया है और ना ही विचाराधीन है और ना ही खारिज हुआ है । प्रार्थी उक्त वाद में दिनांक 12.02.2025 से जिलीा कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारो पर प्रार्थी की दौरान मुकदमा जमानत स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4– विद्वान विशेष लोक अभियोजक फौजदारी के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त मुकदमें को लम्बित रखने के उद्देश्य से जमानत का दुरूपयोग किया है और जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है । यदि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाता

है तो वह जमानत का पुनः दुरूपयोग करेगा। अभियुक्त के द्वारा बीमारी से सम्बन्धित कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है । उपरोक्त आधारो पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5– उभयपक्षों को सुना तथां पत्रावली का अवलोकन किया गयरा ।

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार वारण्ट पर दिनांक 12.02.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है । इसी कारण अभियुक्त रोजगार के सिलसिले में बाहर चला गया था जहॉ पर बीमार हो जाने के कारण तारीख पेषी पर उपस्थित नहीं हो सका था । प्रार्थी ने जानबूझकर गलती नहीं की है । प्रार्थी भविष्य में न्यायालय में उपस्थित आता रहेगा । चूॅकि अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार पूर्व से जमानत पर था और उसकी जमानत किसी भी न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं की गयी है और आज की तिथि तक प्रभावी है ।

7– मामले के समस्तः तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को पूर्व जमानत आदेश के आलोक में अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार द्वारा मु0 50,000/:रूपये की नयी पी0बी0 एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू एवं निम्न अण्डरटंकिंग दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है । तदनुसार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **वीरेन्द्र कुमार दुबे** द्वारा प्रस्तुत **जमानत प्रार्थनापत्र** सं0 **761/2026** तदनुसार स्वीकार किया जाता है और उसके द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन मु0 50,000/– रूपये के नये व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि की एक विश्वसनीय प्रतिभूति दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1– अभियुक्त द्वारा विचारण में पूर्ण सहयोग किया जायेगा ।

2– अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षियों की प्रतिकूलता को प्रभावित नहीं किया जायेगा ।

3– अभियुक्त साक्ष्य और धारा 313 दं0प्र0सं0 के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा तथा न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा ।

4– अभियुक्त साक्षी के उपस्थित होने की दशा में साक्षी से उसी तिथि को प्रतिपरीक्षा करेगा और कोई मौका प्रार्थनापत्र नहीं देगा ।

(रवि प्रकाश साहू)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं0 13, उन्नाव।

दिनाक–03.04.2026